न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
जवानाराम पुत्र अजारामजी जाति रेबारी निवासी दूगावा तहसील सांचोर जिला जालोर		1.ग्राम पंचायत पांचला जरिये सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत पांचला 2.श्रीमति भीखी पत्नि करसन जाति कलबी निवासी पांचला तहसील सांचोर जिला जालोर

प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या 09/2016

पंचायत निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत पांचला दिनांक 20.09.2014 बाबत पट्टा संख्या 6369 मसल संख्या 2/05.05.2014

....

पक्षकारान के अधिवक्तागणः-
1-श्री निखिल कुमार दवे अभिभाषक प्रार्थीगण
2-श्री सरदार खान खोखर अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2
3-सरपंच ग्राम पंचायत पांचला अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः-14.06.2019

1. प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र पट्टा नंबर 6369 दिनांक 20.09.2014 ग्राम पंचायत पांचला के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त पट्टा अप्रार्थी श्रीमति भीखी पत्नि करसन जाति कलबी निवासी दुगावा तहसील सांचोर को ग्राम पंचायत पांचला द्वारा जारी किया गया है।

2. निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच के दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। वांछित रेकार्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब व दस्जावेज प्रस्तुत किये गये। संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की निगरानी के तथ्यो के अनुसार प्रकरण यह है कि ग्राम पंचायत पांचला के अधीन राजस्व ग्राम था, वर्तमान में दूगावा की पंचायत वर्ष 2015 में गठित की गई है, सरहद मौजा दूगावा में स्थित आराजी खसरा नंबर 125 रकबा 9.59 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी स्थित है उसके लगती भूमि खसरा नंबर 686, 715 भी स्थित है, जिसमें काफी लोगो की खातेदारी आई हुई है तथा उक्त भूमि खसरा नंबर 125 के आबादी भूमि से लगती होने से इसमें कोई काश्त नही होता है, खसरा नंबर 715 की भूमि मैं प्रार्थी का पुराना कब्जा है, जहां पर उसके द्वारा 5 दुकानो निर्मित करवाई हुई है दिनांक 16.04.2003 को प्रार्थी के नाम स्वामित्व प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.04.2003 को जारी किया हुआ है, जिसकी फोटोप्रति पेश है।उक्त कब्जे में खसरा नम्बर 715 के किसी भी खातेदारो को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने अपने पुत्र हरकनराम के नाम से विद्युत कनेक्शन भी उक्त परिसर में ले रखा है, जिसकें बिल की फोटोप्रति पेश है। गांव दुगावा में कलबी समाज देवासी समाज का विरोधी रहा है तथा वर्ष 2015 में पंखीदेवी ग्राम पंचायत दुगावा की सरपंच निर्वाचित हुई है तथा उससे पूर्व पांचला का सरपंच भी चौधरी समाज का था तथा वर्तमान सरपंच प्रार्थी को उसके कब्जासुद परिसर से बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत पांचला द्वारा पट्टा जैर निगरानी बिना कब्जे के जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी निगरानी निम्न आधारो पर पेश कर रहा है।

सरपंच ग्राम पंचायत दुगावा श्रीमती पंखीदेवी का वृद्धहस्त अप्रार्थी संख्या 2 पर है, प्रार्थी को पट्टा जैर निगरानी की आड मैं बेदखल करने का असफल प्रयास किया जा रहा है तथा गलत तरीके से प्रार्थी का कब्जा खसरा नंबर 125 गैर मुमकिन आबादी भूमि में बताकर परेशान किया जा रहा है जबकि जांच भी पटवारी हल्का तहसीलदार आदि से करवाई गई तो उसमें आया कि खसरा नंबर 125 की भूमि पर कोई कब्जा प्रार्थी का नही है, मौका फर्द की फोटोप्रति संलग्न है।ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के नाम स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है,दक्षिण की तरफ मुख्य सडक पांचला जाने वाली दर्शाई गई है,खसरा नंबर 125 के दक्षिण में पांचला जाने वाली सडक स्थित नही है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अवैध पट्टा निःशुल्क जारी किया है जबकि निःशुल्क पट्टा मात्र अनुसूचित जनजाति भूमिहिन व्यक्तियो सैनिको बैक वर्ड क्लास गाडलिया लुहार आदि व्यक्तियो को ही जारी किया जा सकता है अप्रार्थी संख्या 2 उसकी पात्र नही होते हुए भी पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टा नियम 158 के तहत जारी करना दर्शाया गया है ।जबकि धारा 158(2)के अनुसार गांव की आबादी देखते हुए उस पर 2/-रूपये वर्गमीटर से 10/-रूपये वर्गमीटर तक शुल्क वसूल करके दिया जा सकता है,परन्तु उक्त पट्टे में किसी प्रकार की शुल्क लेना नही दर्शाया गया है तथा नियम 158 के तहत निःशुल्क आवंटन मात्र राज्य सरकार के आदेश से किया जा सकता है।पट्टा जैर निगरानी में राज्य सरकार के किसी भी आदेश का उल्लेख नही है तथा न ही यह उल्लेख है कि अप्रार्थी संख्या 2 परित्यक्ता है तथा उसके पति के पास कोई आवासीय मकान नही है, जिससे पट्टा जैर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है । सम्पूर्ण पट्टे में किसी प्रस्ताव का उल्लेख नही किया गया है जिससे पट्टा जैर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

पट्टाधारी अप्रार्थी संख्या 2 का मौके पर कोई कब्जा नही है,पट्टे में कोई खसरा नंबर विशेष अथवा आबादी क्षैत्र विशेष का उल्लेख नही किया गया है जिससे पट्टा जैर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत दुगावा

जिला कलेक्टर,जालोर

गठित होने के बावजूद भी रेकर्ड ग्राम पंचायत दुगावा को अन्तरित नही किया गया है इस कारण विगत काफी लम्बे समय से प्रार्थी पट्टे की नकले हेतु ग्राम. पंचायत दुगावा व पाचला के चक्कर काटता रहा प्रार्थी को पट्टा जैर निगरानी की नकल दिनांक 12.04.2016 को ग्राम पंचायत पांचला द्वारा जारी की गई जिससे निगरानी अन्तर्गत म्याद है। अप्रार्थी संख्या 2 का परिवार समृद्ध एवं सक्षम परिवार है उनके पति के नाम से काफी लम्बी चौडी कृषि भूमि है तथा कृषि भूमि पर ही अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवार का रहवास है इन हालात में पट्टा जैर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी को नकल मागने के बावजूद भी रजिस्टर आदि की नकले उपलब्ध नही करवाई गई है जो ग्राम पंचायत का रेकर्ड आने पर प्रमाणित प्रति पेश की जायेगी।

4. अप्रार्थी संख्या 2 ने जबाव में प्रस्तुत तथ्यो में व्यक्त किया कि प्रार्थी का कभी कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमति भीखी के नाम जिस जमीन और पडौस का पट्टा जारी किया गया है वह प्रार्थी जवानाराम का नही है बल्कि श्रीमति भीखी का ही कब्जा सुदा है और श्रीमति भीखी के नाम का जो प्लोट है उस पर कोई दुकाने प्रार्थी जवानाराम की बनी हुई नही है। गॉव का सरपंच कौन व्यक्ति बनता है इसका अप्रार्थी संख्या 2 के इस पट्टा से कोई सरोकार नही है ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उनके द्वारा किया जाता है उस कार्य के लिये अप्रार्थी संख्या 2 की सहमति होना अथवा नही होना अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकार क्षेत्र में नही है ग्राम पंचायत की कार्यवाही में केवल मात्र ग्राम पंचायत द्वारा ही कार्य किया जाता है।प्रार्थी की निगरानी अन्दर म्याद नही है।पूर्णरूप से म्याद बाहर होने की वजह से निगरानी काबिल निरस्त है। इस प्रकरण संबंधित एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 189 दिनांक 24.05.2016 पुलिस थाना सांचोर में धारा 167, 420, 465, 467, 471, 474, 120 बी भा.द.स. में प्रार्थी जवानाराम पुत्र अजाराम जाति रेबारी निवासी दुगावा द्वारा दर्ज करवाई गई। उक्त प्रथम सूचना के तहत पुलिस थाना सांचोर द्वारा अनुसंधान किया गया एवं अनुसंधान के बाद प्रार्थी जवानाराम का प्रकरण अदम वकु (झुठ) पाया गया जिस पर उक्त प्रकरण में एफआर संख्या 110 दिनांक 11.10,2016 को अदालत में पेश की गई। इसी प्रकरण से संबंधित विभिन्न प्रकरण चलते रहे है। इस प्रकार अब यह निगरानी केवल मात्र जवानाराम ने नये सिरे से अप्रार्थी श्रीमति भीखी को तंग व परेशान करने के [illegible] पेश की है। जो चलने योग्य नही है।

नकल [illegible] 2.04.2016 को मिलना प्रार्थी द्वारा बताया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमति भीखी को पट्टा संख्या 6369 मिसल [illegible] 2/05.05.2014 के आदेश दिनांक 20.09.2014 के खिलाफ पेश की गई है इस प्रकार ग्राम पंचायत का कोई काय[illegible] से सार्वजनिक होता है दिनांक 20.09.2014 से लगातार प्रार्थी जवानाराम दिनांक 12.04.2016 तक क्या करता रहा [illegible] यह देरी का विस्तृत स्पष्टिकरण नहीं है और देरी को प्रतिदिन माना जाता है और प्रतिदिन का स्पष्टिकरण विगतवार देना चाहिए जो प्रार्थी ने नही दिया है और इसके समर्थन में शपथ पत्र पेश हुआ है वह भी जल्दबाजी में पेश हुआ है।इसमें भी तथ्य स्पष्ट नही लिखे है।कब कब प्रार्थी ग्राम पंचायत दुगावा एवं पांचला गया और उसने नकल के लिए क्या प्रयास किये उसके भी किसी आवेदन पत्र की प्रति पेश नही की है।यहां तक की प्रार्थी लम्बे समय से अदालत में आने का आदि रहा है ऐसे हालात में वह कानूनी प्रकिया से पूर्णरूप से अवगत है।यहां तक की सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन पत्र नकल बाबत दिया होता तो उसकी भी एक म्याद होती है।ऐसा भी कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही है इसके अलावा इसी जमीन के संबंधित फौजदारी प्रकरण एवं अन्य राजस्ववाद चले है इस प्रकार प्रार्थी को पूर्व से ही सारे तथ्यो की जानकारी है । इस प्रकार जान बुझकर देरी को छुपाने के लिये म्याद शुमार करने का आवेदन पत्र दिया है जो काबिल चलने योग्य नही है ।

5. उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने बहस में उपरोक्त तथ्या को ही दोहराया।

निगरानी तथा जवाब में वर्णित कथनों तथा प्रस्तुत रिकार्ड एवं बहस पर मनन के उपरान्त निष्कर्ष यह है कि प्रार्थी(निगरानी कर्ता) द्वारा अपनी निगरानी में 3 खसरों यथा ख.न. 125, 686 व 715 का उल्लेख अस्पष्ट रूप से किया है तथा उसकी स्वयं की दुकाने किस खसरे में है, यह स्पष्ट सिद्ध नही कर सका। पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 19.02.2016 के अनुसार प्रार्थी की कथित दुकाने खसरा नम्बर 125 में नहीं है। अत: प्रार्थी यह कत्तई सिद्ध नहीं कर पाया है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 को जारी पट्टे की निरस्ती के लिए उसके पास क्या ठोस विधिक आधार है। वह यह भी सिद्ध नही कर पाया है कि उसने किस अधिकार के तहत यह निगरानी दायर की है। निगरानीकर्ता निगरानी में वर्णित तथ्यों को मजबूत विधिक आधारों पर सिद्ध करने में असफल रहा है। अत: यह निगरानी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 14.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: